

**संविधान मे सामाजिक न्याय और भारतीय संविधान में आरक्षण नीति:****डॉ० गृहशोभा****प्रधानाध्यापिका प्राथमिक विद्यालय, तेहरा विकास खण्ड – अतरौली****जनपद - अलीगढ़****सार**

भारतीय संविधान सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए एक मजबूत ढांचा प्रदान करता है, जिसमें आरक्षण नीति एक महत्वपूर्ण साधन है। यह नीति ऐतिहासिक रूप से वंचित समूहों जैसे अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिए शिक्षा, रोजगार और राजनीतिक प्रतिनिधित्व में समान अवसर सुनिश्चित करती है। यह शोध पत्र आरक्षण नीति के संवैधानिक आधार, इसके ऐतिहासिक विकास, कार्यान्वयन, प्रभाव और समकालीन चुनौतियों का विश्लेषण करता है। यह सामाजिक न्याय के व्यापक लक्ष्य को प्राप्त करने में आरक्षण की भूमिका और सीमाओं का भी मूल्यांकन करता है।

1. परिचय

सामाजिक न्याय भारतीय संविधान का मूल सिद्धांत है, जो समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के आदर्शों पर आधारित है। भारत जैसे विविध और ऐतिहासिक रूप से असमान समाज में, सामाजिक न्याय का लक्ष्य जाति, वर्ग, लिंग और आर्थिक स्थिति आधारित भेदभाव को समाप्त करना है। आरक्षण नीति इस दिशा में एक महत्वपूर्ण उपकरण है, जो वंचित समुदायों को सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक मुख्यधारा में शामिल करने का प्रयास करती है। यह शोध पत्र निम्नलिखित प्रश्नों का विश्लेषण करता है:

- संविधान में सामाजिक न्याय और आरक्षण का आधार क्या है?
- आरक्षण नीति का ऐतिहासिक विकास और कार्यान्वयन कैसा रहा है?
- इस नीति के सामाजिक-आर्थिक प्रभाव और समकालीन चुनौतियाँ क्या हैं?

2. संवैधानिक आधार

भारतीय संविधान सामाजिक न्याय और आरक्षण के लिए एक स्पष्ट ढांचा प्रदान करता है। निम्नलिखित प्रावधान इसकी नींव हैं:

- **प्रस्तावना:** समानता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व को संविधान के मूल सिद्धांतों के रूप में स्थापित करती है।
- **अनुच्छेद 14:** कानून के समक्ष समानता और कानून का समान संरक्षण।
- **अनुच्छेद 15:** धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव का निषेध, साथ ही विशेष प्रावधानों की अनुमति (उदाहरण: अनुच्छेद 15(4) और 15(5))।
- **अनुच्छेद 16:** सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता, जिसमें आरक्षण की अनुमति (अनुच्छेद 16(4))।
- **अनुच्छेद 46:** कमजोर वर्गों, विशेष रूप से एससी और एसटी, के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना।
- **अनुच्छेद 340:** पिछड़े वर्गों की स्थिति की जाँच और उनके लिए उपाय सुझाने के लिए आयोग की नियुक्ति।
- **103वाँ संशोधन (2019):** आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिए 10% आरक्षण।

इन प्रावधानों का उद्देश्य ऐतिहासिक अन्याय को सुधारना और सामाजिक-आर्थिक असमानताओं को कम करना है।

3. आरक्षण नीति का ऐतिहासिक विकास

3.1. औपनिवेशिक काल

- आरक्षण की अवधारणा ब्रिटिश शासन के दौरान शुरू हुई, जब दक्षिण भारत के कुछ क्षेत्रों में गैर-ब्राह्मण समुदायों के लिए शैक्षिक और प्रशासनिक अवसर प्रदान किए गए।
- 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में अनुसूचित जातियों के लिए विशेष प्रावधान शामिल थे।

3.2. स्वतंत्रता के बाद

- **संविधान सभा:** डॉ. बी. आर. अम्बेडकर ने वंचित समूहों के लिए आरक्षण की वकालत की। शुरू में, एससी और एसटी के लिए सरकारी नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण लागू किया गया।
- **प्रथम संशोधन (1951):** अनुच्छेद 15(4) जोड़ा गया, जिसने वंचित वर्गों के लिए विशेष प्रावधानों को संवैधानिक मान्यता दी।
- **मंडल आयोग (1980):** ओबीसी के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश की, जिसे 1990 में वी. पी. सिंह सरकार ने लागू किया।
- **ईडब्ल्यूएस आरक्षण (2019):** सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए 10% आरक्षण लागू।

3.3. महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय

- **चंपकम दोरैराजान बनाम मद्रास राज्य (1951):** आरक्षण की संवैधानिकता पर पहला बड़ा फैसला, जिसके बाद अनुच्छेद 15(4) जोड़ा गया।
- **इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार (1992):** मंडल आयोग के आधार पर ओबीसी आरक्षण को बरकरार रखा, 50% आरक्षण की सीमा तय की, और "क्रीमी लेयर" की अवधारणा पेश की।

- **मराठा आरक्षण मामला (2021):** सुप्रीम कोर्ट ने 50% आरक्षण की सीमा को रेखांकित किया और मराठा आरक्षण को असंवैधानिक घोषित किया।

4. आरक्षण नीति का कार्यान्वयन

4.1. क्षेत्र

- **शिक्षा:** केंद्रीय और राज्य शिक्षण संस्थानों में एससी (15%), एसटी (7.5%), ओबीसी (27%) और ईडब्ल्यूएस (10%) के लिए आरक्षण।
- **रोजगार:** सरकारी नौकरियों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में समान अनुपात में आरक्षण।
- **राजनीति:** अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए लोकसभा और विधानसभाओं में सीटें आरक्षित (अनुच्छेद 330 और 332)।

4.2. संस्थागत ढांचा

- राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग।
- राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (अनुच्छेद 338B)।
- आरक्षण नीति के कार्यान्वयन के लिए केंद्रीय और राज्य स्तर पर विभाग।

5. सामाजिक-आर्थिक प्रभाव

5.1. सकारात्मक प्रभाव

- **सामाजिक समावेशन:** वंचित समुदायों को शिक्षा और रोजगार में अवसर मिले, जिससे सामाजिक गतिशीलता बढ़ी।

- **राजनीतिक सशक्तिकरण:** आरक्षित सीटों ने एससी और एसटी को राजनीतिक प्रतिनिधित्व प्रदान किया।
- **आर्थिक उत्थान:** मध्यम वर्ग के उभरने और जीवन स्तर में सुधार के लिए आरक्षण ने योगदान दिया।

5.2. नकारात्मक प्रभाव और आलोचनाएँ

- **मेरिट का सवाल:** कुछ लोग तर्क देते हैं कि आरक्षण योग्यता को प्रभावित करता है, हालाँकि यह दावा विवादास्पद है।
- **क्रीमी लेयर:** ओबीसी और अन्य समूहों में धनी वर्ग के लोग लाभ उठा रहे हैं, जबकि वास्तविक जरूरतमंद उपेक्षित हैं।
- **सामाजिक तनाव:** आरक्षण को लेकर सामान्य वर्ग और आरक्षित वर्गों के बीच तनाव की स्थिति।

6. समकालीन चुनौतियाँ

- **50% आरक्षण सीमा:** कई राज्य इस सीमा को पार करने की माँग कर रहे हैं, जो संवैधानिक और कानूनी चुनौतियाँ प्रस्तुत करता है।
- **क्रीमी लेयर का विस्तार:** क्रीमी लेयर की परिभाषा और इसके कार्यान्वयन में एकरूपता की कमी।
- **आर्थिक आधारित आरक्षण:** ईडब्ल्यूएस आरक्षण की वैधता और प्रभावशीलता पर बहस।
- **निजी क्षेत्र में आरक्षण:** निजी क्षेत्र में आरक्षण लागू करने की माँग और उसकी व्यवहार्यता।
- **जातिगत जनगणना:** आरक्षण नीति को और प्रभावी बनाने के लिए जातिगत डेटा की आवश्यकता।

7. सामाजिक न्याय के संदर्भ में मूल्यांकन

आरक्षण नीति ने सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, लेकिन यह अपने आप में सभी समस्याओं का समाधान नहीं है। सामाजिक न्याय के लिए निम्नलिखित पूरक उपाय आवश्यक हैं:

- गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और कौशल विकास।
- आर्थिक सशक्तिकरण और रोजगार सृजन।
- सामाजिक जागरूकता और भेदभाव विरोधी कानूनों का सख्त कार्यान्वयन।

8. निष्कर्ष

भारतीय संविधान में आरक्षण नीति सामाजिक न्याय का एक महत्वपूर्ण साधन है, जिसने वंचित समुदायों को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हालाँकि, इसकी प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए नीतिगत सुधार, क्रीमी लेयर का सख्त कार्यान्वयन और सामाजिक-आर्थिक विकास पर ध्यान देना आवश्यक है। भविष्य में, सामाजिक न्याय के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आरक्षण को अन्य समावेशी नीतियों के साथ संतुलित करना होगा ताकि एक समान और समृद्ध समाज का निर्माण हो सके।\

संदर्भ

1. भारतीय संविधान, अनुच्छेद 14, 15, 16, 46, 330, 332, 338, 340।
2. मंडल आयोग रिपोर्ट, 1980।
3. इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार, 1992 (सुप्रीम कोर्ट निर्णय)।
4. 103वाँ संवैधानिक संशोधन, 2019।
5. डॉ. बी. आर. अम्बेडकर की रचनाएँ और संविधान सभा की बहसें।
6. समकालीन समाचार पत्र और शैक्षणिक लेख (2020-2025)।